न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या: 01/2018

दर्ज दिनांक: 03/01/2018

निर्णय दिनांक : 10/07/2018

1. छीतर पुत्र देवकरण उम्र 65 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासीः ग्राम बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. झूथा पुत्र देवकरण उम्र 61 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासीः ग्राम बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. श्रवण पुत्र देवकरण उम्र 58 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासीः ग्राम बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. पांचू पुत्र नारायण उम्र 80 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासीः ग्राम बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।
5. गणेश पुत्र रामस्वरूप जाति पारीक ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. सुनील पुत्र रामस्वरूप जाति पारीक ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।
7. उर्मिला पत्नि रामस्वरूप जाति पारीक ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।
8. धनप्रकाश पुत्र दामोदर जाति पारीक ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।
9. भगवान सहाय पुत्र दामोदर जाति पारीक ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।
10. मुरली मनोहर पुत्र दामोदर जाति पारीक ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।
11. रामप्यारी देवी पत्नि छीतर जाति गुर्जर, निवासीः ग्राम सेहदरिया, तहसील

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

फागी, जिला जयपुर।

12. हरकू पत्नि झूथा जाति गुर्जर निवासीः ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।

13. रतन पत्नि श्रवण जाति गुर्जर, निवासीः ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।

---प्रार्थीगण

बनाम

1. मंगला पुत्र श्रीकिशन जाति गुर्जर निवासीः बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. बद्री पुत्र रामलाल जाति गुर्जर, निवासीः बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. रामलाल पुत्र श्रीकिशन जाति गुर्जर निवासीः बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. धापू देवी पत्नि श्रीकिशन जाति गुर्जर, निवासीः बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।
5. गोपाल पुत्र रामदयाल जाति बैरवा, निवासीः बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. चिरंजीलाल पुत्र रामदयाल जाति बैरवा निवासीः बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।
7. लालाराम पुत्र रामदयाल जाति बैरवा निवासीः बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।
8. अनोख देवी पत्नि रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासीः बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।
9. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
10. उपतहसीलदार माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

---अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला-जयपुर

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 क
की उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नंबर 1639, 1640, 1641, 1889/2318, 1899, 1900, 1901 कुल किता 7 कुल रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा व खाता संख्या 419 के खसरा नंबर 1884, 1885, 1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1957, 1958 कुल किता 12 कुल रकबा 20 बीघा 09 बिस्वा ग्राम बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर से उत्तरी दिशा में गै.मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 1630 स्थित से रोड गुजरती है जिस पर आने जाने के मार्ग के लिये मूल खसरा नंबर 1638 की भूमि में रास्ते खातेदारी में आने जाने के लिए आवश्यकता है जिसे नक्शा ट्रेस में मार्क ए बी सी डी वरंग लाल से दर्शाया है। प्रार्थी की खातेदारी खाता संख्या 129 के खसरा नंबर 1639, 1640, 1641, 1889/2318, 1899, 1900, 1901 कुल किता 7 कुल रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा व खाता संख्या 419 के खसरा नंबर 1884, 1885, 1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1957, 1958 कुल किता 12 कुल रकबा 20 बीघा 09 बिस्वा उत्तर दिशा की ओर गै.मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 1630 स्थित है जो प्रतिपक्षी जोकि भूमि धारक है जो राजकीय भूमि धारित करता है, में होकर प्रार्थी की खातेदारी में जोत हेतु जाने आने के लिये उपयुक्त है इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं खुलता है चारो तरफ कोई नियमित मार्ग नहीं है। आज से पूर्व कोई कहीं पर भी जोत हेतु आ जा सकता था लेकिन भूमि धारक के अधिनस्थ ने जोत के नियमित रास्ते (मार्ग) पर आने जाने में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी जोत की विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है प्रस्तावित मार्ग को संलग्न नजरी नक्शे में वरंग लाल से एवं मार्क ए बी सी डी से सुविधा के लिये

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

लगाया गया है। प्रार्थीगण प्रतिपक्षीगण व तहसीलदार राजस्थान सरकार को रास्ते की एवज में मुआवजा राशि जो श्रीमान तय फरमाये प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है उपरोक्त प्रतिपक्षीगण व तहसीलदार फागी के खसरा नंबर 1638 के खातेदारी भूमि में से होकर नवीन रास्ता बाद जांच प्रदान किया जाना आयोजित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 13.03.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से श्री दौलतराम एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 13.06.2018 को तहसीलदार फागी से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 14.06.2018 को वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 30.06.2018 को वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 8 की भूमि को छोड़कर रास्ता दिये जाने पर सहमति प्रकट की।

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किया है कि ग्राम बीबी के खसरा नंबर 1638/2 रकबा 1.02 बीघा भूमि खातेदारी भूमि है जो कि प्रार्थी खातेदारी भूमि में से रास्ता चाहता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के आराजी खसरा नंबर 1638/2 के मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है एवं खातेदार रास्ता देने को तैयार है। चाहा गया रास्ता प्रार्थी के नजदीक रास्ता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता खातेदार की भूमि की भौगोलिक स्थिति को सबसे कम प्रभावित करता है।

प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, तहसीलदार फागी की रिपोर्ट इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थीगण खसरा नंबर 1639, 1640, 1641, 1889/2318, 1899, 1900, 1901 कुल किता 7 कुल रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1884, 1885, 1886, 1888,

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1957, 1958 कुल किता 12 कुल रकबा 20 बीघा 09 बिस्वा ग्राम बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर के खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 आराजीयात खसरा नंबर 1638/2 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1638/2277 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा ग्राम बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से खसरा नंबर 1638/2 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1638/2277 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा ग्राम बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर में से चाहा गया रास्ता ही सबसे निकटतम व सुलभ रास्ता है, न्यायहित में मेरे द्वारा प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण/खातेदारान को अपनी जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ते का समाधान का अभाव होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात खसरा नंबर 1639, 1640, 1641, 1889/2318, 1899, 1900, 1901 कुल किता 7 कुल रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1884, 1885, 1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1957, 1958 कुल किता 12 कुल रकबा 20 बीघा 09 बिस्वा ग्राम बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान में पहुंच हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की आराजीयात खसरा नंबर 1638/2 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1638/2277 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा ग्राम बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर में से 30 फीट रास्ता, नया मार्ग कायम किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह वर्तमान राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम–2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत् गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश के अनुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित कृषि भूमि का दुगुना प्रतिकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 को प्रार्थीगण से दिलवाये। बाद प्रतिकर वितरण तहसीलदार फागी को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त रास्ते की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

का रकबा बरारी कर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का इन्द्राज (गै.मु. रास्ता सिवाय चक) दर्ज करे। जो रास्ता सार्वजनिक होगा। नक्शा ट्रेस में तरमीम की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10/07/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

Scanned by CamScanner